फर्द अहकाम

जयकिशन बनाम जितेन्द्र गुलाटी वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 157/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	14/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट को स्वीकार किया जाकर पारित होकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत मुताबिक होकर नाजर से कम्प हो तथा बाद प्रति होकर शामिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
157 / 2023	11 / 10 / 2023	14 / 03 / 2024

1. जयकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति मीना, निवासी जोगी मोहल्ला ग्राम उकरून्द, तहसील महुआ, जिला दौसा, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. जितेन्द्र गुलाटी पुत्र श्री तिलकराज गुलाटी जाति गुलाटी निवासी 117, रामगली नम्बर 04, राजापार्क, जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की हक काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 रकाब 1.2600 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मथूरादासपुरा पटवार मण्डल लांगडियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। वादाकित भूमि में 4/7 भाग खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी एवं 1/7 भाग जरिए पजीकृत विक्रयपत्र के खातेदार कल्याण पुत्र लादू से खरीद शुदा भूमि एवं शेष हिस्सा 2/7 भाग वादी की जरिए बैनामा क्रयशुदा भूमि है। जिस पर वादी साधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने एक संगठित भू माफिया गिरोह बना रखा है। जो कि जबरन लठ के बल पर वादी की उपरोक्त मद नं0 1 में वर्णित खातेदारी भूमि को जबरन हथियाने के कुत्सित उद्देश्य से बदनियती पूर्वक वादी को उसकी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि से बेदखल करने के लिए कुचेष्ठा व षडयन्त्र रचता रहता है तथा कब्जा करने तथा पुख्ता निर्माण करने की फीराक में है। दिनांक 05.10.2023 को प्रतिवादी सं0 1 अपने साथ अन्य करीबन 10–15 व्यक्तियों का एक गिरोह बनाकर एक जूट होकर वादी की उपरोक्त मद न0 1 में वर्णित भूमि पर आये तथा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर तारबन्दी करने बाउण्ड्रीवाल निर्माण करवाने पुख्ता निर्माण करने तथा वादी को उसकी खातेदारी भूमि पर काश्त नही करने देने व वादी की भूमि को जबरन हथियाने की बात करने लग, जब वादी ने अपनी खातेदारी भूमि से प्रतिवादी को उनके नापाक ईराको के लिए मना किया तो प्रतिवादी व उसके साथ आये व्यक्तियों ने वादी को धमीक दी कि हम संख्या व बाहुबल में तुमसे अधिक है तथा स्थानीय निवासी है, हम तुझे इस भूमि पर से बेदखल करके रहेगें। हम पुख्ता निर्माण कार्य करवाऐगें तथा प्रतिवादी व उसके साथ आये व्यक्तियों ने सगठित होकर पुनः वादी को सांठ–गांठ है, हम तुम्हारी भूमि में जबरन तारबन्दी करके तुम्हे यहॉ से बेदखल करे रहेगें तथा तुम्हारी भूमि पर से पुख्ता निर्माण कार्य करवायेगें। इसलियू वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वादी अपनी मद नं0 1 में वर्णित खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ प्रतिवादी को माननीय न्यायालय से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मथूरादासपुरा पटवार मण्डल लांगडियावास तहसील

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(42)

जमवारामगढ जिला जयपुर में किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तारबन्दी नही करें, वादी को उपयोग–उपभोग से बाधा दखल नही करें, तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल नही करें, शान्ति पूर्ण काश्त में मजाहमत नही करे, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 1 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार प्रतिवादी किया गया। लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहने से इनके खिलाफ दिनांक 08.02.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावें में अंकित बिन्दूओं को ताईद करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्दी करने के आदेश फरमावें।

वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मथूरादासपुरा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 1.2600 हैक्टेयर में भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तारबन्दी नही करें, वादी को उपयोग–उपभोग से बाधा दखल नही करें, तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल नही करें, शान्ति पूर्ण काश्त में मजाहमत नही करे, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14/03/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

जयकिशन बनाम जितेन्द्र गुलाटी वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 136 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मथूरादासपुरा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 1.2600 हैक्टेयर में भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तारबन्दी नही करें, वादी को उपयोग–उपभोग से बाधा दखल नही करें, तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल नही करें, शान्ति पूर्ण काश्त में मजाहमत नही करे, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें।

डिक्री आज दिनांक 14/03/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर